पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2038
दिनांक -22.08.2025

जोन- दक्षिणी / थाना बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी का माल बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

थाना स्थानीय के चौकी क्षेत्र कस्बा बिजनौर में मकान में चोरी की घटना दिनांक 20.08.2025 को घटित हुई। थाना बिजनौर के मोहल्ला सरवन नगर (खेरवा) बिजनौर थाना बिजनौर लखनऊ में वादी के मकान से जेवरात चोरी हो जाने सम्बन्धी थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0250/2025 धारा-305(a)/317(2) बी.एन.एस.पंजीकृत किया गया था। जिसके अनावरण हेतु टीमे गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा था।

दिनांक 21.08.2025 की रात्रि को थाना बिजनौर पुलिस द्वारा साक्ष्यो के आधार पर उपरोक्त चोरी कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया पूछताछ के दौरान अभियुक्त शुभम उपरोक्त ने उक्त चोरी कारित करने की बात स्वीकार की तथा उसके कब्जे से चोरी गये सामान की बरामदगी की गयी।

माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अभियुक्त शुभम रावत पुत्र जगदीश उर्फ मस्तान निवासी घसियारी मौहल्ला बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-250/2025 धारा 305(a)/317(2) बी.एन.एस.थाना बिजनौर लखनऊ

04-बरामदगी-

- एक जोड़ी पायल सफेद धातु ,
- दो जोड़ी बिछिया सफेद धातु ,
- एक अदद चैन पीली धातु ,
- एक अदद लाकेट ओम पीली धातु ,
- एक जोड़ी खड़ुआ सफेद धातु ,
- एक जोड़ी पायल बच्चो के सफेद धातु
- एक अदद मोबाइल रेडमी कम्पनी रंग नीला,

कुल माल कीमत लगभग 2 लाख रूपये।

05-अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0- 90/20 धारा 394/411 भादवि थाना बंथरा लखनऊ

2.मु0अ0सं0- 91/20 धारा 307 भादवि थाना बंथरा लखनऊ

3.मु0अ0सं0- 92/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना बंथरा लखनऊ

4.मु0अ0सं0- 170/20 धारा 323/504/506/379 भादवि से परिवर्तन धारा 392/411 भादवि थाना सरोजनीनगर लखनऊ

5.मु0अ0सं0-158/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना बिजनौर लखनऊ

6.मु0अ0सं0-168/25 धारा 305(a)/317(2) बी.एन.एस. थाना बिजनौर लखनऊ

7.मु0अ0सं0-250/2025 धारा 305(a)/317(2) बी.एन.एस.थाना बिजनौर लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

01-प्र0नि0 शिवशंकर महादेवन थाना बिजनौर लखनऊ

02-उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

03-उ0नि0 गजय सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

04-उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

05-उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना बिजनौर लखनऊ

06-उ0नि0 बृजेश कुमार चौधरी थाना बिजनौर

07-उ0नि0 विकास कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

08-का0 सुशील कुमार थाना बिजनौर लखनऊ

09-चा0 का0 विनय कुमारथाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2039
दिनांक-22.08.2025

जोन-मध्य / थाना-महानगर

- **"थाना महानगर के अन्तर्गत चल रहे हुक्काबार पर कार्यवाही ।"**
- **थाना महानगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**
- **04 अदद हुक्का व 05 अदद पाइप व 02 पाईप रॉड बरामद ।**

01.संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.08.2025 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमे आरोप लगाया गया कि सेक्टर बी 332 तीसरी मंजिल पर कान्सेप्ट हेड क्वाटर थाना महानगर पर अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा सेक्टर-बी 332 तीसरी मंजिल पर कान्सेप्ट हेड क्वाटर थाना महानगर के पास पहुंचे। पुलिस बल द्वारा तीसरी मंजिल पर पहुंचकर देखा गया तो संचालक मौजूद मिला जिससे हुक्का के सम्बन्ध मे पूछा गया तो व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर पकड़ लिया गया। अभियुक्त 1. सोहिल पुत्र मोर्हरम नि0-बकैनिया थाना सदर कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 21 वर्ष गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त सोहिल उपरोक्त जो सेक्टर बी 332 तीसरी मंजिल पर कान्सेप्ट हेड क्वाटर थाना महानगर पर अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। अभियुक्त सोहिल पुत्र मोर्हरम उपरोक्त के विरूद्ध थाना महानगर लखनऊ पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 4/25 सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू प्रतिषेध अधि0 में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सोहिल उपरोक्त को थाना महानगर को पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.08.2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सोहिल पुत्र मोर्हरम नि0-बकैनिया थाना सदर कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 21 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 219/25 धारा 4/25 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू प्रतिषेध अधि0

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अनुराग कुमार सिंह थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 श्री गिरीश चन्द्र यादव थाना महानगर लखनऊ
3. उ0नि0 आर्यन शर्मा थाना महानगर लखनऊ
4. उ0नि0 श्री सूरजभान सरोज थाना महानगर लखनऊ
5. का0 चालक बिजेन्द्र कुमार थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2040
दिनांक- 22.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

'आपसी वाद विवाद को लेकर पूछताछ के दौरान उग्र होकर शान्ति भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

उ0नि0 सलामुल्लाह खान मय हमराह एचजी रामविलास द्वारा दौराने क्षेत्रभ्रमण एनसीआर न0 44/2025 .धारा 115(2)/352,बीएनएस की जांच के क्रम में प्रथम पक्ष के श्री दुर्गेश पुत्र नन्हा निवासी पता ग्राम गौरैयन खेडा मजरा वदौरा थाना मलि0 जिला लखनऊ से पूर्व मे गाली गलौज कर मारपीट करने वाले तथा दौराने पूछताछ पुनः प्रथम पक्ष से लडाई झगडा करने पर आमादा होने वाले आरोपी/द्वितीय पक्ष के विशाल पुत्र बेचालाल निवासी ग्राम गौरैयन खेडा मजरा बदौरा थाना मलिहाबाद लखनऊ को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उदेश्य से अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में आज दिनांक 22.08.2025 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया अभि0 उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध कारित करने का तरीका

आपसी वाद विवाद मे लडाई झगडा कर अमादा फौजदारी होना ,शान्ति व्यवस्था भंग होने सम्बन्धी।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त विशाल पुत्र बेचालाल निवासी ग्राम गौरैयन खेडा मजरा बदौरा थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ (व्यवसाय- मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना मलिहाबाद

1. उ0नि0 सलामुल्लाह खांन मय हमराह एचजी रामविलास

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2041
दिनांक- 22.08.2025

जोन- पश्चिमी

- **थाना चौक, थाना वजीरगंज अन्तर्गत अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही।**

आज दिनांक 22.08.2025 को **श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (का0 एवं व्य0) कमिश्नरेट लखनऊ आदेशानुसार, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चौक व प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मय पुलिस बल व पीएसी बल तथा नगर निगम की टीम के साथ अभियान के अन्तर्गत अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया** तथा हिदायत किया गया कि हटवाये गये अतिक्रमण के स्थान पर भविष्य मे दुबारा अतिक्रमण किया गया तो आवश्यक बैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी। नगर निगम की टीम द्वारा चालानी कार्यवाही के साथ कड़ी चेतावनी दी गयी।

02-अभियान के तहत अतिक्रमण हटाये जाने का चिन्हित स्थान-

- **थाना चौक** अन्तर्गत चरक चौराहा से लेकर मेडिकल चौराहा तक दुकानों के लगे अवैध अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है
- **थाना वजीरगंज** अन्तर्गत वजीरगंज में सिटी रेलवे स्टेशन से मूंगफली मंडी तक रोड के दोनो तरफ अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया।
- **थाना वजीरगंज** अन्तर्गत बलरामपुर हॉस्पिटल के आस-पास से अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2042
दिनांक-22.08.2025

जोन-दक्षिणी/ थाना- नगराम

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा एक आरोपी को सश्रम अजीवन कारावास की सजा व 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (अपराध) व पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष नगराम के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार हे0का0 मनीष तिवारी के अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0-12 लखनऊ महोदय के निर्णायक फैसला दिनांक 22.08.2025 को अभियुक्त सज्जा पासी निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ को मु0अ0सं0- 138/07 धारा-302/201 भा0द0वि0 तथा मु0अ0सं0 140/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा श्री मो0 जसीम पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ द्वारा बाबत विपक्षीगण 01. सज्जा पासी 02. राजा पासी पुत्रगण शियाराम पासी 03.आशाराम चौरसिया पुत्र राम अधार निवासीगण ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ द्वारा वादी के भाई नसीम को धारदार हथियार एवं गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध दिनांक-23/24.10.2007 को 138/07 धारा-302/201 भा0द0वि0 थाना नगराम लखनऊ पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक श्री दिलीप कुमार बिन्द द्वारा संपादित की गयी।

सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध जुर्म धारा-302/201 भा0द0वि0 का अपराध बाखूबी प्रमाणित होने पर दिनांक 25.10.2007 को अभियुक्तगणओं गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक-15.11.2007 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

अभियुक्त सज्जा पासी निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ के विरूद्ध मु0अ0सं0 140/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दिनांक 25.10.2007 को वादी मुकदमा तत्कालीन SO श्री दिलीप कुमार बिन्द द्वारा पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक SI श्री सूरज प्रसाद द्वारा संपादित की गयी। अभियुक्त सज्जा पासी उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ था मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त सज्जा पासी उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक-31.10.2007 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था उपरोक्त दोनो अभियोगों का विचारण माननीय न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0-12 लखनऊ महोदय के न्यायालय में चल रहा था कि आज दिनांक-22.08.2025 को अभियुक्त सज्जा पासी निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास तथा 20000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।

03-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग व सजा-

01. सज्जा पासी निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ को मु0अ0सं0- 138/07 धारा-302/201 भा0द0वि0 तथा मु0अ0सं0 140/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में श्रीमान ए0डी0जे0-12 लखनऊ महोदय के निर्णायक फैसला दिनांक 22.08.2025 को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास तथा 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना	बनाम
1.	138/07	धारा-302/201 भा0द0वि0	नगराम	01. सज्जा पासी 02. राजा पासी पुत्रगण शियाराम पासी 03.आशाराम चौरसिया पुत्र राम अधार(मृतक) निवासीगण ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ
2.	140/07	धारा 4/25 आर्म्स एक्ट	नगराम	सज्जा पासी पुत्र शियाराम पासी निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ

05-फैसला-

01. सज्जा पासी निवासी ग्राम करोरा थाना नगराम लखनऊ को मु0अ0सं0- 138/07 धारा-302/201 भा0द0वि0 तथा मु0अ0सं0 140/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में श्रीमान ए0डी0जे0-12 लखनऊ महोदय के निर्णायक फैसला दिनांक 22.08.2025 को अभियुक्त 01.सज्जा पासी उपरोक्त को धारा 302 भादवि में सश्रम अजीवन कारावास व 20,000 रूपये जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास व धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 3000 रूपये जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष का कारावास व 1000 रूपये का जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास सभी सजायें साथ साथ चलेंगी जेल में बिताई गयी अवधि कारावास में समायोजित होंगी। अभियुक्त 31 माह जेल में बिता चुका है।

06-**पैरवीकर्ता-**

01.श्री विवेक कुमार चौधरी थानाध्यक्ष थाना नगराम लखनऊ

02. हे0का0 मनीष तिवारी थाना नगराम लखनऊ (पैरोकार)